भारत सरकार

सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) का कार्यालय,

हिन्दी अनुभाग, सीमाशुल्क मुंबई अंचल II , जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन,

न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगड , महाराष्ट्र - 400707

फ़ा सं: एस/5 जनरल -03/2019 हिन्दी

दिनांक : 28.12.2020

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 22.12.2020 का कार्यवृत्त

****

सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त बैठक दिनांक **22.12.2020** को सायंकाल **04.30** बजे **श्री संजय महेंद्रु, आयुक्त**, सीमाशुल्क (जनरल) की अध्यक्षता में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे ।

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम
1.	सुनील कुमार मल्ल	आयुक्त, सीमाशुल्क
2.	राजेश कुमार मिश्रा	आयुक्त, सीमाशुल्क
3	शरद मेश्राम	अपर आयुक्त, सीमाशुल्क
4	गो. मनिगण्डासामी	संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क
5	के रघुराम	संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क
6	श्रेयांश मोहन	उप आयुक्त, सीमाशुल्क
7	रमेश वाजगे	सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क
8	मनमोहन धीर	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
9	रूपेश एस सक्सेना	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
10	मनोज कुमार	कर सहायक

बैठक में समिति के सदस्यों के स्वागत के उपरांत कार्रवाई आरंभ की गई ।

<u>पिछली बैठक (22.10.2020) में लिए गए विभिन्न निर्णयों की अनुपालन स्थिति</u>

1- हिन्दी- II के लिए उपसमिति का गठन पूर्ण - संबन्धित आदेश जारी किया गया है ।

2- हिन्दी अनुभाग हेतु बैठक/कक्ष की व्यवस्था (कार्रवाई जारी है)

3- हिन्दी अनुभाग के लिए कर सहायक की पदस्थापना (आगामी पदस्थापनाओं में विचार किया जाएगा)

4- हिन्दी पखवाड़े का सफल आयोजन (अनुपालन पूर्ण)

<u>दिनांक 22.12.2020 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय (हिन्दी - I) :-</u>

बिन्दु 1 & 2) : हिन्दी अनुभाग को नवीन कक्ष का आवंटन एवं अन्य सुविधाएं :-
कक्ष व्यवस्था के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने सहायक आयुक्त (राजभाषा/सी एच एस) को निर्देश दिया कि यह मामला उनके संज्ञान में है और हिन्दी अनुभाग को एक समुचित कक्ष की व्यवस्था आगामी एक सप्ताह में कर दी जाए । हिन्दी अनुभाग अधिकारी द्वारा सुझाए गए स्थान पर सुविधाजनक नवीन अनुभाग कक्ष का निर्माण किया जाना है आयुक्त महोदय ने इस कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिये ।

(कार्रवाई - सीएचएस को आवश्यक कार्यवाही हेतु)

इस बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि नव आवंटित हिन्दी अनुभाग कक्ष में सभी कम्प्युटर/प्रिंटर/इंटरनेट व्यवस्थाएं ईडीआई अनुभाग के माध्यम से समयानुसार पूर्ण की जाये ।

(कार्रवाई - ईडीआई)

बिन्दु 3) : पुस्तकालय अनुरक्षण :- इस बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव से पुस्तकालय की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए और हिन्दी अनुभाग के अनुरोध पर नवीन निर्मित हो रहे हिन्दी अनुभाग कक्ष में पुस्तकों के भौतिक सत्यापन पश्चात व्यवस्थित स्थानांतरण की व्यवस्था पर सहमति प्रदान की है साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए नियमानुसार पुस्तकों की खरीद करने का भी निर्देश दिया है ।

(कार्रवाई - हिन्दी अनुभाग)

बिन्दु 4): विभागीय पत्रिका का प्रकाशन : इस बिन्दु पर माननीय समिति अध्यक्ष ने विभागीय पत्रिका के प्रकाशन की वर्तमान स्थिति को जाना एवं पत्रिका में सभी आयामों को समुचित स्थान देने का भी निर्देश दिया । विभागीय पत्रिका के लागू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक विमोचन की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई ।

(कार्रवाई - हिन्दी अनुभाग)

इसके अतिरिक्त हिन्दी - I के प्रभारी सचिव ने समिति अध्यक्ष एवं अन्य माननीय सदस्यों को विगत/लागू एवं आगामी तिमाहियों में किए गए और किए जाने वाले नियमित कार्यों /उपलब्धियों/कार्यक्रमों/और सूचनाओं पर विस्तृत रूप से जानकारी दी । राजभाषा अनुपालन और कार्यान्वयन के संबंध में भी आवश्यक चर्चा की गई ।

<u>दिनांक 22.12.2020 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय (हिन्दी - II) :-</u>

बिन्दु 1) : आंतरिक निरीक्षण के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि निश्चित समयावधि के अंतर्गत निरीक्षण कार्य किया गया एवं 02 आयुक्तालयों से संबन्धित कार्रवाई की जा चुकी है और शेष 02 आयुक्तालयों में निरीक्षण उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई जारी है ।

बिन्दु 2) : सदस्य सचिव ने बैठक में अनुभागों द्वारा जावक कागजातों के रेकॉर्ड्स न रखने के विषय पर अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि सभी आयुक्तालयों में जावक कागजातों के रेकॉर्ड्स की स्थायी व्यवस्था किए जाने के आदेश जारी किए जाएँ जिससे अनुभागों से संबन्धित हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़े प्राप्त किया जा सकें । अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर सभी अनुभागों हेतु स्थायी आदेश जारी करने के आदेश दिये ।

बिन्दु 3) बैठक में सदस्य सचिव द्वारा सीमाशुल्क से संबन्धित तकनीकी प्रकार के अनुभागों के प्रमुखों की राजभाषा प्रावधानों एवं कार्यान्वयन के समस्याएँ एवं निदान विषय पर कार्यशाला किए जाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया । इस विषय पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति व्यक्त की ।

बिन्दु 4) राजभाषा संबंधी नियमों एवं प्रावधानों को जांच बिन्दुओं के रूप में प्रस्तुत करने के उपरांत उनके सरल रूप को संबन्धित अनुभागों में सूचना पटल (Information Board) के रूप में स्थापित करवाने के बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय ने प्रशंसनीय कदम बताते हुए और सभी प्रमुख अनुभागों में इनकी स्थापना हेतु सहमति व्यक्त की ।

अंत में अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सांयकाल 5:00 बजे सम्पन्न हुई ।

28.12.2020

(रमेश वाजगे)

(सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क/राजभाषा)